रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-७३

REGISTERED No. D-(D N)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

240

सं० 540] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मई 16, 1985/वैशाख 26, 1907
No. 540] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 16, 1985/VAISHAKHA 26, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 16 मई, 1985

आदेश

का. आ. 397 (अ)/18ए/औ. वि. वि. अ./85.—भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का. आ 725(अ)/18ए/औ. वि. वि. अ /72, तारीख 25 नवंबर, 1972 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा मैसर्स इंडिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावडा नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 24 नवम्बर, 1977 तक की जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, के लिए प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए एक प्रबन्ध बोर्ड को प्राधिकृत किया गया था,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 630 (अ)/18ए/औ. वि. वि. अ./77 तारीख 24 अगस्त, 1977 द्वारा उक्त आदेश को उपांतरित किया गया था, और भारत सरकार का औद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड, कलकत्ता को उक्त सम्पूर्ण उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेशों द्वारा समय-समय पर उक्त आदेश की अवधि 24 मई, 1985 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी शामिल है, के लिए बढ़ा दी गई थी।

और केन्द्रीय सरकार की राय में उक्त आदेश को तारीख 24 नवम्बर, 1985 तक की अग्रंतर अवधि के लिए जिसके अंतर्गत यह तारीख भी शामिल हैं, प्रभावी रखना लोकहित में समीचीन है।

अत. अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 24 नवम्बर, 1985 तक जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है, की अवधि के लिए और प्रभावी रहेगा।

[फाइल सं 2(11)/80-सी यू. एस]
ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 16th May, 1985

ORDER

S. O. 397(E)|18A|IDRA|85.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 725(E)|18A| IDRA|72, dated the 25th November, 1972 (herein-

after referred to as the said Order), a Board of Management was authorised to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs India Machinery Company Limited, Howrah, for a period of five years upto and inclusive of the 24th November, 1977;

And whereas the said Order was modified by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 630(E)|18A|IDRA|77, dated the 24th August, 1977 and the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta was authorised to take over the management of the whole of the said undertaking ;

And whereas the duration of the said Order was extended from time to time by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) for a further periods upto and inclusive of the 24th May, 1985;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the duration of the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 24th November, 1985;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 24th November, 1985.

[File No. 2(11)|80-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985